कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ

पत्रांक 1634 /33–वि0नि0/लेखा/रिलीज / 2021–22 दिनांक, 25 नवम्बर 2021 ।

अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन

पिथौरागढ ।

विषय– विधायक निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की वर्ष 2021–22 प्रथम एंव किस्त की धनराशि का प्रेषण।

उपर्युक्त विषयक निर्माण कार्य सम्पन्न करवाने हेतु निम्नानुसार ई–पेमेन्ट के द्वारा धनराशि रू0 2.25000 लाख (रू0.दो लाख पच्चीस हजार मात्र.) आपके द्वारा संचालित बैक के खाते में संलग्न सूची के अनुसार प्रेषित किया जा रहा हैं।जिसका विवरण संलग्न है।

उपरोक्त समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जिला विकास कार्यालय को एक प्रति में सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त उपलब्ध कराने के उपरान्त वापस किये जा रहे है। जिसमें टी0डी0एस0/जी0एस0टी0 आदि जो भी कर देय है, कार्यदायी संस्था के माध्यम से ही जमा किये जायेगे। प्रथम किस्त की धनराशि मानाक के अनुसार उपयोग होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र (मूल में) मस्टरौल एवं माप पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति तथा निमाण कार्य एवं सूचना पट का फोटो प्राप्त होने तथा निम्नलिखित निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये:–

1. धनराशि धार्मिक स्थलों पर व्यय न की जाय तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का कड़ई से पालन किया जाय।
2. योजना के कार्यस्थल पर विधान सभा/विधान परिषद के माननीय सदस्य के नाम उल्लेख करते हुए विधायक निधि योजना निर्माण का विवरण, वर्ष, लागत, व्यय, धनराशि आदि लिखा हुआ सूचना पट लगाया जाय तथा सूचना पट लगाये जाने के पश्चात ही भूगतान करे।
3. सूचना पट मार्बल पत्थर पर स्पष्ट रूप से योजना का कार्य को साथ गड़ा होना चाहिए जिसेमें पूर्ण विवरण भी लिखा जाय।
4. निर्माण कार्य पर किसी प्रकार का सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।
5. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा समय–समय पर स्थलीय निरीक्षण किया जाय तथा तीन माह के भीतर कार्य पूर्ण कराना अनिवार्य होगा अन्यथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
6. मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 20 वीं तारीख को आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रेषित की जाय।
7. धनराशि के उपयोग के उपरान्त एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाय।
8. स्वीकृत धनराशि की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बिना उपयोग न किया जाय।तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति की धनराशि कम होने पर तद्नुसार योजना की स्वीकृति धनराशि भी कम कर दी जायेगी।
9. मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में यह अवगत कराना है कि बिना मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त किये धनराशि व्यय न की जाय।
10. अनु0जाति/जनजाति के विकास हेतु मात्राकृत धनराशि से स्वीकृत निर्माण कार्यों की निर्माण ऐसे स्थलों पर किया जाय, जिससे अनु0जाति/जनजाति के व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हो।
11. व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017 तथा तद्विषय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न– उक्तानुसार सूची

सहायक परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
पिथौरागढ।

प्रतिलिपि– 1: माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
पिथौरागढ।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन पिथौरागढ़ को प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त

क0सं0	प्रस्तावित कार्य का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में	प्रशासनिक स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में	प्रथम किश्त अवमुक्त लाख रू0 में
1	2	3	4	5	6	7
1	पिथौरगढ़ विधान सभा के अन्तर्गत विद्युत पोल /एच0टी0लाइन आदि स्थानान्तरित करने हेतु	बिण /मूनाकोट	2021-22	3.00	3.00	2.25
	योग			3.00	3.00	2.25

Scanned with OKEN Scanner